



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय,
जबलपुर एवं नरसिंहपुर म.प्र.



ब्लॉक- 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर (म.प्र.)

Email-Id Jabalpur@mptownplan.gov.in

Phone No. 0761-2401981

कमांक...../नगानि/एल-22/21.08.17

जबलपुर, दिनांक /02/2018

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)
जिला-जबलपुर

विषय:- ग्राम-सूरतलाई, नं० ब० 419, प० ह० नं० 22/75, रा० नि० म० महाराजपुर, तहसील पनागर जिला जबलपुर ख० कं० 34/2 रकबा 0.680 हे०, ख० कं० 36 रकबा 2.130 हे०, कुल रकबा 2.810 हे० (यानि-28100 वर्गमीटर) भूमि में आवासीय प्रयोजन (भूखण्डीय विकास संस्कार सिटी फेस-3) तहसील व जिला जबलपुर पर मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु अनापत्ति/अभिमत बावद्।
संदर्भ:- पत्र कमांक 59/अ०वि०अ०/प्र-2/2017 जबलपुर, दिनांक 17.08.17 एवं आवेदक से प्राप्त जानकारी दिनांक 02.01.18 एवं 30.01.18।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्वामित्व संबंधी सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर आवेदक श्री हीरा सिंह पिता श्री रतन सिंह निवासी 45, ग्राम सूरतलाई, जिला जबलपुर द्वारा ग्राम-सूरतलाई, नं० ब० 419, प० ह० नं० 22/75, रा० नि० म० महाराजपुर, तहसील पनागर जिला जबलपुर ख० कं० 34/2 रकबा 0.680 हे०, ख० कं० 36 रकबा 2.130 हे०, कुल रकबा 2.810 हे० (यानि-28100 वर्गमीटर) भूमि में आवासीय प्रयोजन (भूखण्डीय विकास संस्कार सिटी फेस-3) हेतु यथा-वर्णित भूमि का व्यपवर्तन हेतु अनापत्ति/अभिमत चाहा गया है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण ग्राम-सूरतलाई, नं० ब० 419, प० ह० नं० 22/75, रा० नि० म० महाराजपुर, तहसील पनागर जिला जबलपुर ख० कं० 34/2 रकबा 0.680 हे०, ख० कं० 36 रकबा 2.130 हे०, कुल रकबा 2.810 हे० (यानि-28100 वर्गमीटर) का स्थल निरीक्षण आवेदक के प्रतिनिधि एवं कार्यालय के उपयंत्री श्री आर. एस. पटेल द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित भूमि के सम्मुख 7.5 मी० पहुंच मार्ग तथा पूर्व दिशा में आवेदक का पूर्व अभिमत प्राप्त अभिन्यास है जिसमें 9.0 मी. के मार्ग को प्रस्तावित अभिन्यास में समायोजित किया गया है एवं दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा में अन्य की खुली भूमि स्थित है। परीक्षण अनुसार विषयांकित भूमि पर म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 13(1) के प्रावधान लागू नहीं है। तात्पर्य विषयांकित भूमि किसी भी निवेश क्षेत्र से बाहर स्थित है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण कमांक 34/अ-89/13घ /2015-16 जबलपुर दिनांक 20.09.2016 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रदाय किया गया। नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र कमांक 6048/बी-121/2016-17 जबलपुर दिनांक 31.07.2017 को अनापत्ति अनुविभागीय अधिकारी रा० जबलपुर द्वारा प्रदाय किया गया। म०प्र० पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि० जबलपुर संभाग द्वारा पत्र कमांक 2140 जबलपुर दिनांक 07.09.2017 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संलग्न शपथ पत्र दिनांक 12.09.2017 यथा-वर्णित भूमि से संबंधित स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर डेव्लपर्स चिराग गाला पिता हरीश गाला (भूमि स्वामी आर्टिकल 6(डी)) एवं आवेदक भूमि स्वामी श्री हीरा सिंह पिता श्री रतन सिंह निवासी 45, ग्राम सूरतलाई, जिला जबलपुर द्वारा ग्राम-सूरतलाई, नं० ब० 419, प० ह० नं० 22/75, रा० नि० म० महाराजपुर, तहसील पनागर जिला जबलपुर ख० कं० 34/2 रकबा 0.680 हे०, ख० कं० 36 रकबा 2.130 हे०, कुल रकबा 2.810 हे० (यानि-28100 वर्गमीटर) भूमि में आवासीय प्रयोजन (भूखण्डीय विकास संस्कार सिटी फेस-3)

Handwritten signature

प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनिया विकास) नियम, 2014 के नियम 10(2) के प्रावधान के अंतर्गत नियोजित मानचित्र पर म0प्र0 भूमि विकास नि. 2012 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भू-राजस्व संहिता की धारा 172(4) के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन किये जाने हे निम्नलिखित निर्वधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए अभिमत प्रदान कर कालोनी के विकास नियम 2014 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

1-मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

2-मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993

3-म0प्र0 विद्युत मंडल जिला जबलपुर

4-संबंधित शासकीय विभाग (शासकीय विभाग से लगी भूमि की विकास की स्थिति में)

5-क्षेत्रीय कार्यालय म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 5 विजय नगर जिला-जबलपुर ।

अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत अन्य कोई विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अभिमत से कोई आपत्ति नहीं है। इस अभिमत का आशय यह नहीं माना जावेगा कि अन्य विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनापत्ति या स्वीकृति पर बंधनकारी होगी।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मानचित्र अनुसार सम्मुख 7.5 मी0 पहुंच मार्ग तथा पूर्व दिशा में आवेदक का पूर्व अभिमत प्राप्त अभिन्यास है, जिसमें 9.0 मी. के मार्ग को प्रस्तावित अभिन्यास में समायोजित किया गया है, या राजस्व अभिलेखों के अनुसार जो अधिक उपलब्धता होगी वह भूमि मार्गधिकार हेतु छोड़नी अनिवार्य होगा। उक्त मार्गधिकार अंतर्गत भूमि पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण मान्य नहीं होगा। तथा संबंधित विभाग से पहुंच प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्राप्त करनी होगी साथ ही आवेदक को ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त कर मुख्य मार्ग से विषयांकित भूमि तक का मार्ग का विकास करना होगा।

3. इस अभिमत को किसी भी प्रकार के विकास/निर्माण अनुमति नहीं मानी जावेगी। यह केवल मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के नियम 10(2) के प्रावधान के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता की धारा 172(4) के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन हेतु माना जावेगा।

4. भू-व्यपवर्तन के पश्चात् संलग्न मानचित्र अनुसार विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 में वर्णित प्रावधानों के पालन कराने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी की होगी।

5. भू-व्यपवर्तन किये जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 संबंधी प्रावधान सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् संलग्न मानचित्र अनुसार विकास कार्य प्रारंभ किया जाये।

6. स्थल पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण करने के पूर्व आवेदित भूमि का आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु भूमि का भू-राजस्व संहिता की धारा 172(4) के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन कराया जाना आवश्यक होगा।

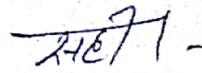
7. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 14.09.2006 तक यथा संशोधित अधिसूचना 01.09.2009 की अनुसूची की कंडिका 08(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरीय और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप कमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना कमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण

- (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है। तो ईकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अथवा स्टेट ऑफ यूनियन टेरेटरी लेवल इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॉरटी (एसईआईए) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आई.ए. क्लीयरेन्स लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार कालोनी में पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदक को समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात् मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियम और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामन प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
 9. नियमानुसार बाह्य विकास लागत राशि/पर्यवेक्षण राशि संबंधित संस्था/विभाग में जमा कराना होगी तथा कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानको/शर्तों के आधार पर पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर विधिवत इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
 10. मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के नियम-11 में निहित प्रावधानों अनुसार विकसित भूखण्डों का कुल विक्रय योग्य क्षेत्र का 6 प्रतिशत के बराबर विकसित भूखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिये (प्रत्येक के लिये 3 प्रतिशत) निर्धारित आकार के भूखण्ड विकसित कर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तावित आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिये आरक्षित भू-खण्डों का आकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा उनका आदेश अंतिम माना जावेगा। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिये भूखण्ड का न्यूनतम अग्रभाग (फुन्टेज) 3.6 मी0 होगा।
 11. आपके एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जिम्मेदारी आवेदक एवं संबंधित ग्राम पटवारी की होगी। विसंगति पाये जाने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 12. अभिमत अनुसार निर्दिष्ट भूखण्डों का विक्रय के दौरान विक्रय पत्र में प्रदत्त विकास अनापत्ति का क्रमांक व दिनांक तथा परियोजना का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।
 13. अभिमत अनुसार मानचित्र में दर्शित भू-खण्डों को स्वयं के प्रेरणा से उपविभाजन व संवियलन किया जाना मान्य नहीं होगा। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस कार्यालय से अभिमत प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 14. आवासीय परिसर से निकलने वाले धूसर जल को रिसाइकिल कर हरित क्षेत्रों के रख रखाव हेतु उपयोग में लाने की व्यवस्था की जाना होगा। दुषित जल का निस्तार सार्वजनिक नाले इत्यादि में प्रतिबंधित रहेगा। जिसके लिये संबंधित विभाग के निर्देशन पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप एसटीपी का निर्माण आवेदक को स्वयं के व्यय से करना होगा।
 15. एच0 टी0 लाईन के नीचे आने वाले भूखण्डों में नियमानुसार भवन अनुज्ञा न दी जावे।
 16. कालोनियों में अभिमत अनुसार मानचित्र में दर्शित के अनुरूप छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क, बगीचे एवं वृक्षों का समूह, छोटे बच्चों के खेले के स्थान, उचित प्रकाश पेयजल व्यवस्था, जल-मल

निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण माना जाये। यह सुनिश्चित सक्षम प्राधिकारी द्वारा करना होगा।

17. जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
18. प्रश्नाधीन स्थल पर अभिमत मानचित्रानुसार विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 5 विजय नगर जिला-जबलपुर से आवश्यक होने पर पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
19. प्रस्तावित भवनो में वर्षा/छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था कर इसका विकास, भू-खण्ड स्वामियों द्वारा करना आवश्यक होगा।
20. मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार भूखण्डों के लिए वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा मार्ग एवं पार्क का विकास कर उसे संबंधित संस्था/सरपंच ग्राम पंचायत सूरतलाई तह0 पनागर जिला जबलपुर में निःशुल्क हस्तांतरित करना होगा।
21. विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे-जल प्रदाय, मल प्रवाह, वर्षा के पानी की निकासी, विद्युत व्यवस्था पुलिया का निर्माण आदि सुविधा अभिन्यास में अंकित कर उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् ही क्रियान्वयन किया जा सकेगा।
22. प्रस्तावित विकास क्रियान्वित किये जाने हेतु मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से न्यायालय तहसीलदार, पनागर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2017 द्वारा विषयांकित भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन पंचनामा सहित आवेदक ने प्रस्तुत किया है। तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है, तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा कालोनी विकास के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र पर इस कार्यालय से अभिमत प्राप्त करना होगा।
23. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाए गए मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अतः मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्री वाल से अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा।
24. प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र के विकास संबंधी अधिनियमो नियमो तथा उविधियो के उपबन्धो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
25. कालोनी का रख-रखाव हेतु सरपंच ग्राम पंचायत सूरतलाई तह0 पनागर जिला जबलपुर को हस्तांतरित करने के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा। तथा विधिवत सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होगा।
26. इस मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त स्थल मानचित्र को भू-स्वामित्व के रूप में किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा।
27. मानचित्र की सत्यापित मानचित्र मय अनापत्ति पत्र आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना होगा। तथा स्थल पर अभिमत मानचित्र में दर्शाये समस्त व्यौरों से संबंधी जानकारी एक 1.5 X 1.25 मीटर साईज के लोहे के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
28. आवेदक को सरपंच ग्राम पंचायत सूरतलाई तह0 पनागर जिला जबलपुर एवं अन्य विभागो से प्राप्त समस्त अनुज्ञायों (विकास एवं भवन) प्राप्त करनी होगी तथा अनुज्ञा प्रपत्रों में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

29. परिसर के अन्दर निर्मित होने वाले समस्त भवनो की संरचना डिजाइन भूकम्प अवरोधी सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार की जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रावधान का पालन भवन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
30. अभिमत मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर अभिमत कालोनी विकास नियम-2014 के नियम-10(2) के प्रावधानों के एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के दिया गया अभिमत निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदकों की मानी जावेगी।
- संलग्न:-मानचित्र की प्रति

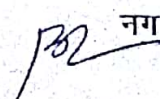

(नीरज आनंद लिखार)

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर

पृ0कमांक.....421...../नग्रानि/एल-22/21.08.17 जबलपुर, दिनांक27/02/2018
प्रतिलिपि:-

- 1 कलेक्टर जिला-जबलपुर की ओर मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अंतर्गत कृपया सूचनार्थ।
- 2 क्षेत्रीय कार्यालय म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 5 विजय नगर जिला-जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 उप पंजीयक, जिला जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 तहसीलदार, पनागर, जिला जबलपुर की ओर पटवारी खसरा के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का उपरोक्तानुसार अभिमत दिया गया है" की टीप अंकित करने हेतु प्रेषित।
- 5 सरपंच ग्राम पंचायत सूरतलाई तह0 व जिला जबलपुर को ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं की गई कार्यवाही से अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 6 आवेदक श्री हीरा सिंह पिता श्री रतन सिंह निवासी 45, ग्राम सूरतलाई, जिला जबलपुर की ओर सूचित करते हुये लेख है कि उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त की गई समस्त अनापत्ति या स्वीकृति इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचनार्थ/पालनार्थ हेतु अग्रेषित।


(नीरज आनंद लिखार)
संयुक्त संचालक

 नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर